सं. ई-22/1/2025-हिंदी

भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

हिंदी अनुभाग

राजभाषा विषयक निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांकः 09 दिसंबर, 2025

| | |
|---|---|
| निरीक्षण की तिथि | 20/11/2025 |
| निरीक्षण किए गए कार्यालय का नाम | उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.(नेरामेक), गुवाहाटी, असम |
| निरीक्षण अधिकारी का नाम/पदनाम | श्री सुखबीर सिंह, उप निदेशक (रा.भा.) और श्री अफरोज आलम, सहायक निदेशक (रा.भा.) |

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.(नेरामेक), गुवाहाटी, असम में उक्त तिथि को आपके कार्यालय में श्री सुखबीर सिंह, उप निदेशक (रा.भा.) और अफरोज आलम, सहायक निदेशक (रा.भा.), उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा राजभाषा विषयक निरीक्षण किया गया था। किए गए उक्त निरीक्षण में कार्यालय के अधिकारियों ने भरपूर सहयोग किया। हालांकि कार्यालय में हिंदी में काम करने के लिए प्रयास किया गया है लेकिन कतिपय कमियां दृष्टिगोचर हुई हैं जिनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता हैः-

1. मद संख्या 4 में दर्शाया गया है कि आपका कार्यालय राजभाषा अधिनियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय के कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें एवं आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान करवाएं और ज्यों ही कार्यालय के 80% कार्मिक हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने की श्रेणी में आ जाते हैं, कृपया उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के हिंदी अनुभाग को सूचित किया जाए ताकि आपके कार्यालय को अधिसूचित करवाया जा सके।

2. मद संख्या 5 में आपने दर्शाया है कि कार्यालय के 08 अधिकारियों और 07 कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। कृपया उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने हेतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है।

3. मद संख्या 5 के अनुसार आपके कार्यालय में 36 कार्मिक हैं। कृपया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार हिंदी के पद सृजित किए जाएं और यदि कोई हिंदी पद अस्थाई अथवा नियमित प्रकृति का नहीं है तो उसे स्थाई और नियमित किया जाए।

4. मद संख्या 8 के अनुसार कुल 20 कंप्यूटरों में सभी में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। इनमें हिंदी में कार्य करना भी सुनिश्चित किया जाए।

5. मद संख्या 16 मे उत्तर में 10 लिखा गया है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि कितने रजिस्टर हैं और कितने रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिंदी में की जाती हैं। कृपया स्पष्ट करें। राजभाषा नियम 11 के अनुपालन की अनिवार्यता को

ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही सभी रजिस्टरों के शीर्षक द्विभाषी करवाए जाएं एवं सुनिश्चित किया जाए कि इनमें प्रविष्टियां हिंदी में हों।

6. मद संख्या 17 के अनुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया कुल व्यय 2070/- रुपये है जबकि हिंदी पुस्तकों पर 1050/- रुपये व्यय दर्शाया गया है। राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप है, जिसके अनुसार हिंदी व अंग्रेजी पुस्तकों पर समान रूप से राशि व्यय की गई।

7. मद संख्या 19 के अनुसार कार्यालय में प्रयोग की जा रही रबड़ की मोहरों की कुल संख्या 15 बताई गई है और ये सब द्विभाषी हैं। यह सराहनीय है।

8. मद संख्या 19 के अनुसार कार्यालय के नामपट्ट, साइन बोर्ड, सील, पत्र शीर्ष, पदधारित बोर्ड और विजिटिंग कार्ड द्विभाषी हैं। यह सराहनीय है। कृपया इस बात पर अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाए कि किसी भी नामपट्ट एवं लेखन सामग्री पर प्रथम राज्य की राजभाषा में, फिर हिंदी में और फिर अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा। इसका ध्यान रखा जाए कि राज्य की राजभाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी का फान्ट साइज भी बराबर रखा जाना अनिवार्य है।

9. मद संख्या 21 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों की संख्या 41 है जिनमें से 28 पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया। शेष 13 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। अतः राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना सुनिश्चित किया गया है, सराहनीय है।

10. राजभाषा अधिनियम के राजभाषा नियम 1976 के निमय 12 के अनुसार राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए कार्यालय के प्रशासन के प्रधान जिम्मेदार हैं। अतः वह राजभाषा नियमों के अनुपालन के लिए हमेशा सचेष्ट रहें। आजकल संसदीय राजभाषा समिति मंत्रालय के छोटे-छोटे कार्यालयों का भी निरीक्षण कर रही है। अतः राजभाषा विभाग की साइट पर जाकर राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमों/आदेशों का अवलोकन करते रहें तथा इन सभी नियमों/आदेशों से कार्मिकों को भी अवगत कराएं।

अनुरोध है कि उपर्युक्त बिंदुओं पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन अनुसार रिपोर्ट से मंत्रालय को अवगत कराएं।

भवदीय,

09/12/25

(सुखबीर सिंह)
उप निदेशक (रा. भा.)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
दूरभाषः- 011-21410741